राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक एफ 4 (20)आकाशि/नि.सं./2017/208 दिनांक 12/12/19 **अन्तिम अवसर**

सचिव/ प्राचार्य
निजी महाविद्यालय
राजस्थान

विषयः— पूर्व में ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रहें निजी महाविद्यालय हेतु सत्र 2018—19, सत्र 2019—20 व सत्र 2020—21 के लिए NOC ऑनलाइन, पोर्टल खोलने के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऐसे महाविद्यालय जो किसी कारणवश सत्र 2018—19 2019—20 में ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गये, उन निजी महाविद्यालयों हेतु एस. बी सिविल याचिका संख्या 19219/2018, 18704/2018, 14121/2019 व 16851/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले अन्तिम निर्णय के अध्याधीन अग्रानुसार शुल्क सहित अन्तिम अवसर प्रदान करने के लिए सत्र 2020—21 में ऑनलाईन पोर्टल दिनांक 20.12.2019 से 20.01.2020 तक खोला जाता है—

प्रकरण	शुल्क (रूपये)
सत्र 2018—19, सत्र 2019—20 व सत्र 2020—21	90000/—
सत्र 2019—20 व सत्र 2020—21	60000/—

इस हेतु निजी महाविद्यालयों को संलग्न प्रारूप में समस्त सूचनाएं दिनांक 19.12.2019 तक आयुक्तालय की निजी संस्था शाखा में व्यक्तिशः उपस्थित होकर उपलब्ध करानी होगी। तत्पश्चात जांच करने के उपरान्त दस्तावेज सही व पूर्ण पाये जाने पर सम्बन्धित संस्था हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा। आवश्यक दस्तावेजों के अपूर्ण पाये जाने पर संस्था का प्रकरण निरस्त कर दिया जावेगा।

संलग्न— उपर्युक्तानुसार।

(प्रदीप कुमार बोरड़, IAS)
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा एवं
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान

वेबसाइट प्रभारी को अपलोड हेतु।

प्रपत्र

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्र. स	महाविद्यालय का नाम	पता	स्थापना वर्ष	अनापत्ति प्रमाण पत्र का स्तर (TNOC/ PNOC)	महाविद्यालय का ई–मेल	सचिव का मोबाईल न0 व ई–मेल	अध्यक्ष का मोबाईल न0 व ई–मेल	राज्य सरकार से प्राप्त समस्त NOC की प्रतियां	सम्बद्धक विश्वविद्यालय से प्राप्त अद्यतन सम्बद्धता प्रमाण पत्र की प्रति	जमा करवाये गये शुल्क के चालान की प्रतियां (सत्र 2018–19, सत्र 2019–20)